



केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद्

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी)

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विधिक निकाय

A Statutory Body under the Ministry of AYUSH

(Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy), Govt. of India

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan

No.61-65, V & VI Floors, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110 058

Phone: (Direct) 28525582
28520607
Fax: 011-28520691
011-28521542
011-28526873
E-mail: cchindia123@yahoo.com
Website: www.cchindia.com

मिसिल संख्या 10-17/2017-के0हो0पो/26387-28392 दिनांक 15 JAN 2018

सेवा में,

(संलग्न लिस्ट के अनुसार)

विषय:—आधार आधारित हाजिरी मशीन के रख-रखाव के संदर्भ में निविदा।

महोदय,

यह परिषद् निम्न हाजिरी आधारित मशीनों की कम्प्रीहेन्सिव ए.एम.सी. बाबत् निविदा आमंत्रित करती है उपकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	उपकरण का नाम	मात्रा	प्रति आईटम रेट	टैक्स (जीएसटी)	कुल
1.	डेस्कटाप के साथ उपयोग किया जाने वाले फिन्गर प्रिन्ट स्कैनर डिवाइस (स्टारटेक मॉडल संख्या एफएम 220)	4			
2.	इन्टीग्रेटेड हाजिरी डिवाइस टाईप-। 3जी (टेबलेट डाटाविन्ड)	2			

उपरोक्त आईटम मार्च, 2016 में खरीदे गए हैं। दिये जाने वाले रेट में हाजिरी मशीनों के सॉफ्टवेयर सपोर्ट, बैटरी तथा सभी पार्ट्स सम्मिलित होने चाहिए। उपकरणों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है तथा भुगतान यथानुपात के आधार पर किया जाएगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएँ इस परिषद् को दिनांक 31.01.2018 तक पहुँच जानी चाहिए, जिसके लिफाफे पर "आधार आधारित हाजिरी मशीनों की कम्प्रीहेन्सिव ए.एम.सी. बाबत् निविदा" बाहर ये चिन्हित करते हुए, जो कि इस परिषद् के सचिव को संबोधित हो, प्राप्त निविदाएँ दिनांक 01.02.2018 को खोली जाएँगी। सभी निविदाओं के साथ रुपये 2,000/- का डिमांड ड्राफ्ट ई0एम0डी0 के रूप में "केन्द्रीय होमियोपैथी के नाम" साथ में संलग्न हों। रेट 03 वर्ष के लिए वैध होंगे।


यह परिषद् किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार रखती है यह फर्म के हित में होगा कि वे निविदा जमा करने से पहले इस कार्यालय परिषद् में लगे उपरोक्त आईटम का निरीक्षण कर दिनांक 31.01.2018 से पहले किसी भी कार्यदिवस में 2 से 4 बजे के बीच कर सकती है।

नियम एवं शर्तें

- पुराना सामान/पार्ट(जो बदला जाएगा) वह केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् की सम्पत्ति होगी।
- शिकायत का निवारण 12-24 घण्टें में होना चाहिए, अगर फर्म इसमें असफल होती है तो उसे बदले में स्टैंड बाई सिस्टम उपलब्ध कराना होगा।
- यह फर्म की जिम्मेदारी होगी कि सभी उपकरण कान्ट्रेक्ट के दौरान चालु रहे।
- वार्षिक रख-रखाव में हार्डवेयर, साफ्टवेयर सपोर्ट भी सम्मिलित होगा।

5. यदि शिकायत 72 घन्टे (या तीन कार्य दिवस) के अन्दर अटैन्ड नहीं की जाती तो, रु. 50.00 प्रति दिन के हिसाब से फर्म पर जुर्माना लगाया जाएगा जिसे देय राशि में से काट लिया जाएगा।
6. जिस एजेन्सी को काम दिया जाएगा उस के द्वारा निर्दिष्ट कार्य राशि का 10% राशि सुरक्षा राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट (केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के नाम) पॉच दिनों में जमा कराना होगा।
7. कोई भी अग्रिम राशि इस परिषद् द्वारा नहीं दी जाएगी।
8. निविदा के साथ फर्म के पैन व टैन एवं जीएसटी नम्बर की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करे।
9. बिना सुरक्षा राशि, बिना हस्ताक्षर तथा जीएसटी पैन व टैन नम्बर की प्रति संलग्न न पाये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,



(यज्ञदत्त वत्स)

सहायक सचिव (प्रशा. एवं पंजी.)

✓ प्रति :-के0हो0प0 की वेबसाईट हेतू